CR/105/17 — कोटा/ड़ी | 21-2/17

तारीख हुक्म	हुक्म व कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 2017/00124	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील जारी हुए
	ओमप्रकाश बनाम कैलाश/गोविन्द राम	
13/12/17	पत्रावली वास्ते सुनवाई प्रार्थना पत्र स्थगन हेतु पेश हुयी। अभिभाषक अपीलांट एवम् अभिभाषक केवियटकर्ता उपस्थित। प्रार्थना पत्र स्थगन एवम् अपील पर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस निवेदन किया कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत कर निवदेन किया कि ग्राम कोटड़ी तहसील कोटड़ी में स्थित विवादित आराजी खसरा नम्बर 3433 रकबा 2 बीघा 07 बिस्वा भूमि राजस्व अभिलेख में अपीलार्थी के पिता शंकर लाल पुत्र गजानन्द जाति ब्राहमण के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज थी। उनकी मृत्यु के बाद ग्राम पंचायत कोटड़ी द्वारा नामान्तकरण संख्या 2134 दिनांक 30.05.1991 खोला गया जो रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 03 ने, रेस्पोडेन्ट संख्या 04 से मिलीभगत कर खुलवा लिया जो विधि विरूद्ध होने से खारिज फरमाया जाकर, नामान्तकरण अपीलार्थी के नाम खुलवाये जाने के आदेश प्रदान किये जावें। अपील के विचाराधीन रहते रेस्पोडेन्ट संख्या 05 व 06 ने एक प्रार्थना पत्र शीघ्र सुनवाई किये जाने बाबत् तथा साथ ही प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 जा.दी. दिनांक 02.11.2017 को अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उसी दिन रेस्पोडेन्ट संख्या 05 व 06 का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 जा.दी. (पक्षकारान बनाये जाने) को स्वीकार करते हुए, मूल अपील का ही निस्तारण बिना अपीलांट की सुनवाई किये ही कर दिया तथा अधीनस्थ न्यायालय की इस कार्यवाही से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है। अभिभाषक अपीलांट ने आगे बहस में बताया कि अपीलांट व रेस्पेडेन्ट संख्या 01 से 03 हिन्दू विधि से शासित होते है तथा हिन्दू विधि अनुसार अपीलांट का भी हक व हिस्सा पिता की सम्पति में रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 03 के बराबर प्राप्त करने का अधिकार था परन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 3 ने रेस्पोडेन्ट संख्या 04 से मिलीभगत कर नामान्तकरण को अपने नाम स्वीकार करवा लिया तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटड़ी ने रेस्पोडेन्ट संख्या 05 व 06 को पक्षकार बनाये जाने वाले प्रार्थना पत्र पर उनकी सुनवाई नही की तथा प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर दिया। केवल रेस्पोडेन्ट संख्या 05 व 06 की सुनवाई करते हुए मूल अपील का निस्तारण कर दिया हैं, जो विधि विरूद्ध हैं। अपीलांट ने विक्रय पत्र को खारिज करवाने हेतु माननीय जिला न्यायाधीश, भीलवाड़ा के समक्ष एक वाद पेश कर रखा हैं, जो उनके समक्ष विचाराधीन हैं, जिसकी जानकारी अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटड़ी को थी। सिविल वाद की जानकारी होने से अधीनस्थ न्यायालय को नामान्तकरण की कार्यवाही को वाद के निस्तारण तक स्थगित करने के आदेश प्रदान करने चाहिए था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट की अपील का विधि विरूद्ध	आयुक्त

Scanned by CamScanner

117

लीलादेवी / राजस्थान

तारीख हुक्म	2017/00124 हुक्म व कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

श्री एन एल गुर्जर — केविएट कर्ता श्री गोविन्द शर्मा

निरंतर—

खारिज फरमा दी। न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र स्थगन स्वीकार किया जाकर, विवादित आरजी की ताफैसला अपील राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनायी रखी जाने के आदेश प्रदान करावे या न्यायालय हाजा चाहे तो अपील को आंशिक स्वीकार कर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटड़ी को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जावें की वे अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, पुनः आदेश पारित करें।

अभिभाषक केवियटकर्ता ने दौराने जवाब बहस में निवेदन किया कि नामान्तकरण संख्या 2134 दिनांक 30.05.1991 को रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 03 के नाम तस्दीक किया था। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 ने अपने हिस्से की आराजी का बेचान मनभर देवी को कर दिया था। तत्पश्चात मनभर देवी ने महेन्द्र कुमार को उक्त आराजी का बेचान कर दिया, महेन्द्र कुमार ने वापिस बेचान मनभर देवी को कर दिया जिसकी पालना में नामान्तकरण संख्या 3568 तस्दीक हुआ। वर्तमान में मरभर देवी ने अप्रार्थी /रेस्पोडेन्ट संख्या 05 व 06 को उक्त आराजी का बेचान कर दिया जो वर्तमान में प्रभाव में हैं ऐसी स्थिति में जब तक विक्रय पत्र को समक्ष सिविल न्यायालय से निरस्त नही होने तक प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सतुंलन व अपूरणीय क्षति तीनो ही बिन्दू अप्रार्थी संख्या 05 व 06 के पक्ष में साबित हैं। रेस्पोडेन्ट संख्या 05 व 06 विवादित आराजी के रेकार्डेड खातेदार हैं जिनको जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पांबद नही किया जा सकता हैं। न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि अपीलांट के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का खारिज फरमाया जावें। अपीलार्थी के अभिभाषक द्वारा की गई बहस का उक्तानुसार जवाब देने के उपरांत अभिभाषक रेस्पोडेंट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि प्रकरण में प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10, शीघ्र सुनवाई एवं मूल अपील निस्तारण में प्रथम दृष्टया अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बगैर निस्तारण किया है, जो विधिक त्रुटि है तथा इसी स्तर पर पुनः सुनवाई हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित की जाती है तो रेस्पोडेंट को कोई आपत्ति नहीं है।

अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रति व नामान्करण की प्रति का अवलोकन किया गया। प्रकरण में बाद अवलोकन प्रथमतया अधीनस्थ न्यायालुय के आदेशिका दिनांक 02.11.2017 में अपीलार्थी को अनुपस्थित बताया गया है तथा प्रकरण का निस्तारण मेरिट पर किया गया है। प्रकरण में न्यायालय के समक्ष जब अपीलांट एवम् उनके अभिभाषक उपस्थित नही थे तो अधीनरथ न्यायालय को अपील को अदम हाजरी एवम अदम पैरवी में खारिज करना चाहिए था ना की मेरिट पर। द्वितीय यह कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोंडेंट संख्या 05 व 06 द्वारा जब प्रार्थना पत्र शीघ्र सुनवाई किये जाने बाबत् एवम् प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश

निरंतर—

2017/00124

तारीख हुक्म	हुक्म व कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की तारीख जारी हुआ
	01 नियम 10 जा.दी. प्रस्तुत किया गया तो अपीलांट को उसकी प्रति दी जाकर, उनसे जवाब लेने के पश्चात ही प्रार्थना पत्र व अपील पर सुनवाई की जानी चाहिए थी जो अधीनस्थ न्यायलाय द्वारा नही की गयी हैं, जो विधि विरूद्ध हैं। अतः उभयपक्ष अभिभाषक की बहस में दिये गये तर्को एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं तथ्यों के कम में पक्षकारान के समय व आर्थिक व्ययता को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत अपील का इसी स्तर पर निस्तारण करना उचित समझते है। अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पुनः सुनवाई किये जाने के कारण प्रतिप्रेषित योग्य हैं। इस बाबत् अभिभाषक उभयपक्ष ने अपनी सहमति दी कि प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है तो उनको किसी प्रकार की आपत्ति नहीं हैं।	
	अतः अपीलांट अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर, विद्वान उपखण्ड अधिकारी, कोटड़ी के आदेश दिनांक 02.11.2017, प्रकरण संख्या 05/2017 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण विद्वान अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र द्वारा रेस्पोडेंट संख्या 05 व 06 का सर्वप्रथम अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिये जाने के उपरान्त निस्तारण करें एवं इस अपील में उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए, अपील का गुणावगुण पर इस न्यायालय के आदेश से तीन माह में निस्तारण करें। मिसल फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।	

Scanned by CamScanner